राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 255/2024 दायर तारीख 08.08.2024

अनवान

01. हरिशंकर पुत्र कैलाशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा खेती निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

............प्रार्थी

बनाम

01. श्रीमान् भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– श्री मुकेश कुमार धाकड़ ....अधिवक्ता प्रार्थी।

पैरोकार सरकार **..........अधिवक्ता विपक्षी ।**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27/06 2025

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की अनुतोष चाहा कि:–

01. प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात ग्राम जोलास पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 193 पर अंकित आराजी संख्या 535/464 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज हैं।
02. ग्राम जोलास खसरा संख्या 464 में से आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक 18.05.1981 को रकबा 6.00 बीघा भूमि डूंगालाल पिता भंवरलाल जी नाई निवासी जौलास को आवंटन की गई, आवंटन पश्चात् उक्त आवंटित भूमि के नवीन आराजी नम्बर 535/464 रकबा 6.00 बीघा कायम किये गये एवं आवंटित भूमि की पैमुदगी की जाकर आवंटी को आवंटित आराजी का कब्जा सिपूर्द कर ईकरारनामा एवं दखलनामा निष्पादित किया गया।
03. आवंटन आदेश की पालना में आवंटी को मौके पर भूमि का कब्जा सिपुर्द किया एवं उस समय पटवारी हल्का द्वारा जिस स्थान पर आवंटन बता आवंटी को कब्जा दिया गया उसी स्थान पर आवंटी काबिज हो गया, जिस जगह आवंटी को कब्जा सिपुर्द किया गया एवं आवंटी से भूमि क्रय की सतत् प्रकिया में जहां पूर्व के खातेदार एवं वर्तमान में प्रार्थी काबिज हैं उक्त भूमि के पड़ौसी पूर्व में जगदीश पिता लटूर धाकड़ डोबिया की जमीन पश्चिम में आम रास्ता पचानपुरा गांव जाने वाला , उत्तर में नरोत्तम पिता रामलाल जी धाकड़ निवासी डोबिया की जमीन, दक्षिण में आम रास्ता स्थित है।
04. भूमि आवंटित कर आवंटी को कब्जा सिपुर्द करने के बाद आवंटी द्वारा उक्त भूमि के चारों तरफ पत्थर की कोट करवाई गई एवं आवंटन दिनांक से निरन्तर आवंटी उक्त भूमि पर निरन्तर निर्विवाद काबिज हो उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था।
05. जिस स्थान पर मूल आवंटी की भूमि आवंटित कर राजस्व कर्मचारियों ने मौके पर कब्जा संभलाया उस जगह को राजस्व नक्शे में तरमीम नही कर अन्य जगह का नक्शा बनाकर कब्जा पैमूदगी व दखलनामे की रिपोर्ट के साथ विपक्षी के यहां प्रस्तुत कर दिया । जिस स्थान पर राजस्वकमियों ने आवंटी डूंगालाल पिता भंवरलाल जी नाई निवासी जोलास को कब्जा सिपूर्द किया उसे आवंटी के द्वारा काबिल काश्त बनाया जाकर उन्नत आबाद किया गया। आवंटी डूंगालाल पिता भंवरलाल के देहान्त हो जाने के बाद उनके वारिसान से उक्त भूमि हरीशंकर पिता नाथूलाल धाकड़ निवासी चांदजी

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

की खेड़ी द्वारा क्रय की गई उसके बाद हरीशंकर पिता नाथूलाल जी धाकड़ निवासी चांदजी की खेड़ी से कमलेश कुमार पिता शंकरलाल निवासी थड़ौदा से विक्रय होते होते उक्त भूमि प्रार्थी के पास आई। प्रार्थी मौके पर कब्जा प्राप्त कर काश्त कर रहा है। राजस्व कर्मियों ने उक्त भूमि को कब्जे वाले स्थान पर नक्शे में तरमीम नही कर अन्यत्र जगह पर तरमीम कर दिया गया। उक्त भूमि के क्रेताओं के कब्जे वाली भूमि का नहीं बनाया जाकर अन्य भूमि का बना दिया गया हैं एवं राजस्व नक्शे में भूमि की तरमीम कब्जे के हिसाब से सही नहीं हैं जिसे मौके पर कब्जे के अनुसार किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं

अतः श्रीमान् से सादर निवेदन है कि ग्राम जोलास पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 193 पर अंकित आराजी संख्या 535/464 रकबा .9712 हैक्टेयर भूमि को नक्शा ट्रेस तके प्रार्थना पत्र की अनुसार पडोसीयों के मध्य स्थित भूमि जहां प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है, कब्जे अनुसार उक्त स्थान पर राजस्व नक्शे में तरमीम कराने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दस्तावेजों की जांच कर दिनांक 08.08.2024 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना भेज करवायी गई। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त ई जिसे शामिल किया गया। विपक्षी राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां की और से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्राथीगण की और से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2074–2077 ग्राम जोलास खाता संख्या 193 खसरा नम्बर 535/464 , नक्शा प्रस्तावित भूमि व पूर्व में तरमीम शुदा भूमि आराजी नम्बर 535/464 व आराजी नम्बर 464 पेश की शामिल पत्रावली । तहसीलदार बिजौलियां को पत्र क्रमांक/रिडर/2024/2283 दिनांक 05.12.2024 जारी हुआ जिसमें उक्त प्रार्थना पत्र के संबन्ध में वर्तमान जांच/स्थल रिपोर्ट चाही गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां का जवाब क्रमांक/राजस्व/2025/604 दिनांक 17.04.2025 को प्राप्त हुआ जिसमें तहसीलदार बिजौलियां ने बताया की:–

भू.अ.निरिक्षक सलावटिया व पटवारी हल्का चांदजी की खेड़ी की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा अनुसार ग्राम जौलास की आराजी नम्बर 535/464 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि जो हरिशंकर पुत्र कैलाशचन्द्र निवासी डोबिया के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि मौतविरान अनुसार पूर्व में डूंगालाल पिता भंवरलाल नाई निवासी जौलास को आवंटित हुई थी। खातेदारी करवाने के पश्चात् डूंगालाल की मृत्यु के बाद उसके वारिसान ने उक्त भूमि हरिशंकर पिता नाथूलाल धाकड़ निवासी चांदजी की खेड़ी को क्रय की गई उसके बाद अंकुर, कैलाश पिता मदनलाल निवासी लक्ष्मीनिवास द्वारा क्रय की गई उसके बाद उक्त भूमि प्रार्थी हरिशंकर पुत्र कैलाशचन्द्र धाकड़ निवासी डोबिया द्वारा क्रय की गई। प्रार्थी की क्रयशुदा भूमि की तरमीम आवंटन के सुपुर्दगीननामा एवं नक्शा ट्रेस में अलग जगह हैं जबकि प्रार्थी का कब्जा काश्त वर्तमान में आराजी संख्या 570/464 में है। आराजी नम्बर 570/464 रकबा 32.03748 है. भूमि जो गेमु भटवेड़ दर्ज रिकॉर्ड है एवं जमाबन्दी की खाता संख्या 01 में दर्ज है। पूर्व में आराजी नम्बर 535/464 डूंगालाल पिता भंवरलाल नाई निवासी जौलास को आवंटित हुई थी। मौके पर उपस्थित मौतविरान ने बताया की प्रार्थी का कब्जा हमने आराजी नम्बर 570/464 में ही देखा है अन्य जगह का कब्जा नहीं होना बताया है। एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आराजी नम्बर 535/464 की तरमीम अन्य व्यक्ति कन्हैयालाल पिता भंवरलाल सेन निवासी जौलास का कब्जा आंशिक एंव कुछ उबड़–खाबड़ पड़ी हुई है। प्रार्थी मौके पर उपस्थित है जिसने बताया की विक्रेता से यही भमि खरीदी थी जहां में अभी बैठा हूँ। आराजी नम्बर 464 में पूर्व में आराजी नम्बर 535/464 रकबा 0.9712 है. भूमि का आवंटन हुआ था। आराजी नम्बर 464 से ही वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज नाम आराजी नम्बर 570/464 बना है, बीच मं उद्योग विभाग को भूमि आवंटन होने से आराजी नम्बर के अलग टुकड़े होकर तरमीम हुई है। मौके पर उपस्थित मौतविरान ने बताया की प्रार्थी की भूमि आराजी 535/464 रकबा 0.9712 हैक्टेयर की तरमीम मौका अनुसार करने में ग्रामवासियान को कोई आपत्ति है। मौके पर कोई विवाद नहीं है एवं पत्थर की कोट लगी हुई है। तरमीम के सम्बंध में विवाद नहीं है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अतः भू.अ.नि./पटवारी द्वारा रिपोर्ट एवं मौका पर्चा की प्रतियां, नक्शा ट्रेस, जरी नक्शा, आवंटन आदेश, नामा नकल, मिशल आवंटन ट्रेस , विभिन्न नकले संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान् सेवा में सादर प्रेषित है। न्यायालय में उक्त प्रकरण में जांच रिपोर्ट मय मौका पर्चा, नकल जमाबन्दी, क्शा ट्रेस, आवंटन पत्रावली की नकल व नजरी नक्शा की प्रति के साथ श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित । तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त रिपोर्ट को संलग्न पत्रावली किया गया। तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त पोर्ट को प्रार्थी अधिवक्ता ने स्वीकार किया किया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की सुनी गई हमने पत्रावली का अवलोकन किया। र्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का एवं तहसीलदार बिजौलिया की जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया गया । रोकार सरकार नायब तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी बहस के दौरान सहमति प्रदान कि की प्रार्थी के पक्ष उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन/मनन करने एवं गुणावगुण व रेट के आधार पर न्यायालय प्राथीगण के पक्ष में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समक्षता है। अतः र्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिए जाते हैं किः—

—ःआदेशः—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम प्रार्थी के क्ष में स्वीकार कर आदेश दिए जाते हैं कि ग्राम जोलास पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी भू.अभि.निरिक्षक लावटिया तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 193 पर अंकित आराजी संख्या 535/464 कबा 0.9712 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय (खातेदार हरिशंकर पुत्र कैलाशचन्द्र धाकड़ सा.डोबिया) भूमि की रमीम खाता संख्या 01 के आराजी नम्बर 570/464 रकबा 32.03748 हैक्टेयर में से रकबा **0.9712 हैक्टेयर** तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त रिपोर्ट/नक्शा ट्रेस अनुसार किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। तहसीलदार बिजौलियां उक्त आदेश की राजस्व रिकॉर्ड/नक्शा में पालना कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करें।

आदेश आज दिनांक 27/06/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला—भीलवाड़ा